न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/07/2022

राजस्थान सरकार जरिय प्रवर्तन निरीक्षक, भरतपुर

बनाम ......प्रार्थी

श्री राजेन्द्र मित्तल पुत्र सुरेश चंद मित्तल जाति वैश्य निवासी गणेश जी मार्केट बयाना

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत।

उपस्थित :–

1– पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,

निर्णय **दिनांक 24.1.2023**

प्रार्थी की ओर यह प्रार्थना पत्र. धारा 6ए इस आशय का पेश किया संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2022 को राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म गोवर्धन मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक बयाना के मालिक श्री राजेन्द्र मित्तल पुत्र सुरश चंद मित्तल जाति वैश्य उम्र 42 वर्ष निवासी गणेश जी मार्केट बयाना की जांच के दौरान मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (तीन आईओसीएल कम्पनी एवं तीन एचपीसीएल कम्पनी के पाये गये, मौके पर बजन करने पर ये खाली थे। अप्रार्थी के पास उक्त 6 गैस सिलेण्डरों के भण्डारण वैधता व स्त्रोत बाबत कोई भी वैध दस्तावेज एवं अनुज्ञापन नहीं पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को फर्म पर अवैध दुरुपयोग करने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7सी का स्पष्ट उलंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जप्त शुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर एड. राजेश गोयल का वकालतनामा पेश किया गया है जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी या उसके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। पैराकार रसद को इकतरफा में सुना गया।

प्रार्थी पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया दिनांक 20.10.2022 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौराने अप्रार्थी की फर्म मिष्ठान भंडार की जांच की

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा0पत्र / 6ए / 07 / 2022
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम राजेन्द्र मित्तल

गई थी, दौराने जांच मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर दुकान पर पाये गये, अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुकान मिष्ठान भंडार पर रखने के बारे में कोई जबाव नहीं देना यह साबित करता है कि अप्रार्थी उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई बनाने के लिये भट्टी में करता है। अप्रार्थी का यह कृत्य नियमों के खिलाफ है। जप्त शुदा 6 गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी या उसके अभिभाषक का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि वे प्रकरण में कुछ कहना नहीं चाहते हैं और ना ही उन्होने कोई जबाव पेश किया है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका फर्द जप्ती दिनांक 20.10.2022 का अवलोकन किया गया। फर्द जप्ती फर्द मौका पर दौराने जांच उपस्थित गवाहों के साथ साथ अप्रार्थी राजेन्द्र मित्तल पुत्र सुरेशचन्द के हस्ताक्षर हो रहे हैं, यानि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही पर उन्होने को एतराज दर्ज नहीं कराना यह जाहिन करता है कि की प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही सही है। घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी की दुकान मिष्ठान भंडार पर मिलना यह ही साबित करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरस से गैस भट्टी पर मिठाई बनाने के उपयोग में लेता है। नियमों के तहत घरेलू गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित उपभोक्ता की रसोई में होना चाहिये ना कि मिष्ठान भंडार की दुकान पर, इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7सी का स्पष्ट उलंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जप्त शुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए स्वीकार किया जाता है। जप्त शुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों (तीन आईओसीएल कम्पनी एवं तीन एचपीसीएल कम्पनी को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है वह जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे। जिला रसद अधिकारी पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2023 को सुनाया गया।

(अलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर